उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

संख्या-**2/2017/**2144/14-5-2017-26/2014

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा की गई थी। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य के गठन होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य का वनाच्छादन 5.71 प्रतिशत हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप वनों के क्रियाकलाप को सस्टेनेबुल वन प्रबन्धन की दृष्टि से उचित प्रबन्धन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता के दृष्टिगत ''उ0प्र0 राज्य वन नीति-1998'' को अवक्रमित करते हुए ''उ0प्र0 राज्य वन नीति-2017'' (प्रति संलग्न) निर्धारित की जाती है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

संजय सिंह

सचिव।

संख्या-2144(1)/14-5-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
(5) मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(12) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(13) वन एवं वन्यजीव अनुभाग-1, 2, 3 एवं 4
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

विशेष सचिव।

http://shodhganga.up.nic.in

(वन एवं वन्य जीव अनुभाग-5 **कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2144/14-5-2017-26/2014,** दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 **का** संलग्नक)

''उ0प्र0 राज्य वन नीति-2017''

1- प्रस्तावना -

भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा की गई थी। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य के गठन होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य का वनाच्छादन 5.71 प्रतिशत हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप वनों के क्रियाकलाप को सस्टेनेबुल वन प्रबन्धन की दृष्टि से उचित प्रबन्धन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई।

1.1 दृष्टि (Vision)

- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय का विश्वास अर्जित करना।
- इन वर्गो की वन संरक्षण और वानिकी में सकारात्मक भागीदारी, क्षमता विकास, सीधा लाभ प्रदान कर आय में वृद्धि एवं क्षमता विकास।

- वनों एवं वानिकी संसाधनों का सस्टेनेबुल संरक्षण एवं संवर्धन ।
- वन संरक्षण एवं वानिकी हेतु वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय का विश्वास अर्जित करना।
- वन संरक्षण एवं वानिकी में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी।
- वन संरक्षण एवं वानिकी को वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय हेतु लाभोन्मुखी बनाना।
- वन संसाधनों एवं वानिकी से सस्टेनेबुल लाभ अर्जन हेतु वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय का क्षमता विकास।
- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को वन संसाधनों से सम्बन्धित अधिकार एवं रियायतें प्रदान किया जाना।

upnasanadesh.up.nic.in

- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को वन संसाधनों एवं वानिकी का सीधा लाभ प्रदान कर आय में वृद्धि।

1.2 मिशन (Mission)

- विभिन्न गतिविधियों यथा वन संरक्षण, मूल्य संवर्धन, वन उपज प्रसंस्करण, मार्केट लिंकेज, वन प्रबन्ध में भागीदारी सहित विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से
- वनवासियों एवं स्थानीय समुदायों की क्षमता विकास व आय में वृद्धि।

- वैज्ञानिक वन प्रबन्धन के माध्यम से नार्मल (Normal) वन की स्थापना।
- सामुदायिक, कृषि व खेत वानिकी तथा औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन।
- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को अधिकाधिक लाभ की दृष्टि से वनोपज का उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन हेतु क्षमता विकास व प्रोत्साहन।
- वन संरक्षण को वनों पर निर्भर वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय की आजीविका से जोड़ना।
- मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण एवं मार्केट लिंकेज के माध्यम से वनों पर निर्भर वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को वनोपज का पूर्ण लाभ प्रदान करना।
- वनों के समीप व अन्य निजी भूमि पर वनोपज उत्पादन को प्रोत्साहन, कृषि वानिकी, जड़ी बूटी की खेती।
- वनोपज के व्यापार की सुगमता हेतु सम्बन्धित नियमावलियों व नियंत्रण का शिथिलीकरण।
- विद्यमान बंजर, अवनत भूमि यथा ऊसर, खादर, बीहड़, अवनत वन क्षेत्र आदि में वृक्षारोपण।

http://shasandesh.up.nic.in

- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय के खेत/मेड़ पर सहभागी मूल्यांकन के आधार पर वृक्षों का रोपण।
- संयुक्त वन प्रबन्ध समिति/ईको विकास समिति में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय की उचित भागीदारी के माध्यम से विश्वास अर्जित करना।
- वनों के स्थानीय प्रशासन में वन रक्षक/वनविद् के रूप में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना।
- संयुक्त वन प्रबन्ध समिति/इको विकास समिति को सुदृढ़ एवं सक्रिय करते हुये वनों के प्रबन्धन एवं विकास में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को समेकित वृक्षारोपण कार्य, सुरक्षा, वन उपज का प्रभाजन, तेन्दूपत्ता के संग्रहण आदि में उचित भागीदारी देना।
- वनों एवं गैर वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कच्चे माल के अन्तिम उत्पाद के विपणन तक की श्रंृखला को चिन्हित कर इसके क्रियान्वयन हेतु वनाधारित उद्योग की स्थापना तथा कैचमेंट निर्धारित करना।
- कच्चे माल के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित कर उनकी स्थायी आय में वृद्धि करना।
- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय का उत्पादक समूह गठित कर उत्पाद निर्माता से सीधे सम्पर्क करवाकर विपणन की व्यवस्था स्थापित करना।

http//shasanadesh.up.nic.in

- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से दृष्टि (विज़न) को समय से सम्पादित कराने हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाना।

1.3 मूल्य (Values)

- पारदर्शिता, समयबद्धता, आन लाईन व्यवस्था, मजदूरी अथवा अन्य सहायता की धनराशि सीधे बैंक खाते में जमा कर वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को समय से भुगतान करना।

- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभों एवं कार्य भुगतान समय से उपलब्ध कराना।
- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को उचित मजदूरी अथवा शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंचाना।
- पारदर्शिता एवं समयबद्धता की दृष्टिगत वन विभाग से निर्गत होने वाली विभिन्न अनुज्ञायें/अनुमति/ स्वीकृतियों हेतु नियमों में संशोधन/सरलीकरण के साथ आनलाईन/कागजरहित व्यवस्था एवं तंत्र स्थापित किया जाना।

1.4 वन वासी केन्द्रित नीति :

वनवासियों के समग्र विकास, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा हेतु वन केन्द्रित सुविधाएं प्रदान किया जाना

सस्टेनेबुल वन प्रबन्ध का मुख्य केन्द्र बिन्दु वनवासी विकास आधारित होगा जिसमें वनों में निवास करने वाले वनवासी / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। वनवासियों एवं अन्य वन निवासियों ने जैवविविधता के संरक्षण और परिस्थतिकीय संतुलन को बनाये रखने में पीढ़ियों से योगदान दिया है, अतः

http://shasanadesh.up.nic.in

उनके द्वारा समग्र विकास, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में वनों पर आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष वनवासी केन्द्रित सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

1.5 जन केन्द्रित नीति :

प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों व युवाओं में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अभिरूचि जागृत करने एवं कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी किया जाना

इस नीति से प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों व युवाओं में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अभिरूचि जागृत करने, वृक्षों, वनों, वन्य प्राणी, जैवविविधता, वेटलैण्ड, नदियों आदि के संरक्षण एवं संवर्धन, वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि, कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन अवशोषण/कार्बन क्रेडिट, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

उपरोक्त समग्र तथ्यों के आलोक में सम्प्रति यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश स्तरीय वन नीति की घोषणा की जाये।

2. उद्देश्य:-

उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य वन नीति के **<u>मूल उद्देश्य</u>** निम्न प्रकार हैं-

वनों एवं जैवविविधता का संरक्षण, विकास एवं वैज्ञानिक व विवेकपूर्ण प्रबन्धन, वनवासी केन्द्रित वन प्रबन्ध पर विशेष बल

2.1 प्रदेश के विद्यमान प्राकृतिक व रोपित वनों एवं जैवविविधता का संरक्षण, विकास एवं वैज्ञानिक व विवेकपूर्ण प्रबन्धन द्वारा सुधार।

2.2 वनवासी केन्द्रित वन प्रबन्ध पर विशेष बल।

2.3 प्रदेश में स्थित विभिन्न प्रकार की अवनत भूमि यथा-ऊसर, खादर, बीहड़ एवं रिक्त वन क्षेत्र में वनीकरण एवं भूमि संरक्षण योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।

- हरित आवरण में वृद्धि करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि

vishasanadesh.up.nic.in

2.4 निजी भूमि में कृषि वानिकी वृक्षारोपण के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए वृक्षाच्छादन में वृद्धि करना।

2.5 जन सामान्य को प्रदान की जा रही सुविधाओं को प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए अधिनियम/नियमों में व्यापक संशोधन/ सरलीकरण

2.6 सामुदायिक, संस्थागत में सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण से आच्छादित क्षेत्र में विस्तार करना।

2.7 वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु वनों व ग्रामों के मध्य हरित (ग्रीन) कारीडोर सृजित किया जाना।

2.8 वनों का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर निर्यात को प्रोत्साहित करना।

- प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज का कुशल उपयोग एवं इनके वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा।
- ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन का विकास।

2.9 अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार रोपित वृक्षारोपण पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना।

2.10 नदियों विशेषकर गंगा नदी, झीलों, जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने एवं अविरल प्रवाह बनाये रखने हेतु तटों के साथ-साथ जलागम क्षेत्र में वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, भूमि एवं जल संरक्षण कार्य के द्वारा भूमि कटाव, बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप तथा जलाशयों में सिल्ट भराव पर नियंत्रण किया जाना।

shasanadesh.up.nic.in

- महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, पूर्व सैनिकों एवं वनों के समीप रहनेवाले ग्रामवासियों केसहयोग से वानिकी को जनांदोलन बनाया जाना।

2.11 प्रदेश में विद्यमान वन क्षेत्र तथा वृक्षों की उत्पादकता में वृद्धि के उपाय करना ।

2.12 ग्रामीण व निर्बल वर्गों तथा जनजाति के लोगों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की घरेलू मांग की पूर्ति हेतु आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच के अन्तर में कमी लाने के प्रयास करना ।

2.13 व्यवसाय के रूप में गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना ।

2.14 प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज के कुशल उपयोग के साथ ही इनके वैकल्पिक साधनों के उपयोग के प्रयासों के द्वारा जैविक दबाव में कमी लाना।

2.15 प्रदेश में वन, संरक्षित क्षेत्रों एवं इस क्षेत्र से बाहर वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की रणनीति एवं कार्य योजना तैयार कर इसे क्रियान्वित करना ।

2.16 ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन का विकास।

2.17 वनों पर निर्भर ग्रामवासियों की आजीविका के वैकल्पिक संसाधनों का सृजन ।

2.18 कृषकों की वानिकी सम्बन्धी आवश्यकता को जन सुलभ बनाने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु ई-गवर्नेंस व डिजिटल प्रयोग को लागू करना ।

http//shasandesh.up.nic.in

2.19 प्रदेशवासियों विशेषकर विद्यार्थियों व युवाओं में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अभिरूचि जागृत करना।

उक्त समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में वृहद् स्तर पर एक जन सहभागिता अभियान चलाया जाना, जिसमें महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, पूर्व सैनिकों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त करना ।

राज्य वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना है। इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के सापेक्ष वनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना गौण है।

1. **वन प्रबन्ध के महत्वपूर्ण सिद्धान्त**

- नार्मल (Normal) वन की स्थापना।
- वनों की उत्पादकता में वृद्धि।
- वनवासियों के विकास केन्द्रित प्रबन्धन।
- वनों एवं ग्रामों के मध्य ग्रीन कारीडोर का सृजन।
- मानव वन्यजीव संघर्ष न्यून करना।

3.1 सस्टेनेबुल वन प्रबन्ध के माध्यम से नार्मल (Normal) वन की स्थापना।

3.2 वनवासियों के विकास केन्द्रित प्रबन्धन।

3.3 वनों की उत्पादकता में वृद्धि।

3.4 वन प्रबन्ध में जन सहभागिता। ।

3.5 जल, मृदा व जैवविविधता संरक्षण।

3.6 विद्यमान वन भूमि तथा वनों की पूर्ण सुरक्षा।

3.7 वनों एवं ग्रामों के मध्य ग्रीन कारीडोर का सृजन।

upbanadesh.upnic.in

3.8 विद्यमान बंजर, अवनत भूमि यथा ऊसर, खादर, बीहड़, अवनत वन क्षेत्र आदि में वनाच्छादन / वृक्षाच्छादन ।

3.9 वन प्रबन्ध के उद्देश्य के अनुरूप घास के मैदान, वाटर बाडी (Wetlands), वृक्षारोपण आदि का प्रबन्ध ।

3.10 संरक्षित क्षेत्र यथा राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों में प्राकृतवास सुधार व प्रबन्धन ।

3.11 मानव वन्य जीव संघर्ष न्यून करना ।

4. रणनीति

4.1 वन क्षेत्र :

परती भूमि, अवनत वनभूमि, सार्वजनिक व सामुदायिक भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण।

- **राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरुप प्रदेश की कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्र को वन एवं वृक्षावरण के अन्तर्गत लेना राज्य का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ पर परती भूमि यथा ऊसर, बीहड़, खादर, अन्य प्रकार की परती व अवनत वन भूमि है वहां पर वनीकरण के द्वारा वनों से आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि की जायेगी ।**
- प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, यथा गंगा-यमुना के मैदान, जहाँ एक ओर वनों की अत्यधिक कमी है वहीं दूसरी ओर भारी जनसंख्या के कारण भूमि पर विभिन्न गैर वानिकी उपयोग हेतु अत्यधिक दबाव है, ऐसी स्थिति में इन

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में कमी की भरपाई का प्रयास सभी प्रकार की सामुदायिक, संस्थागत एवं निजी भूमि में स्थान-स्थान पर वृक्षों के रोपण द्वारा आवरण में वृद्धि करके की जायेगी ।

4.2 वन रोपण, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी :-

- समयबद्ध रूप से अवनत वन भूमि एवं रिक्त, अवनत व वर्गीकृत अनुपजाऊ गैर वन भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा ।
- वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई भूमि की मेड़ व खेत में वृक्ष लगाकर कृषकों के आय के साथ-साथ वृक्षाच्छादन को बढ़ाया जाएगा ।
- निजी भूमि के मेड़ व खेत में वृक्ष लगाकर कृषकों के आय के साथ-साथ वृक्षाच्छादन को बढ़ाया जाएगा ।
- नदी के किनारे विशेषकर गंगा नदी के किनारे सघन वृक्षारोपण की पट्टी तैयार कर वृक्षावरण को बढ़ाया जाएगा ।
- समस्त जलाशय व पोखरों के चारों ओर अवस्थित रिक्त सामुदायिक भूमि व अवनत निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- छोड़ी गई खदान की भूमि पर वृक्षारोपण कर भूमि को पुर्नस्थापित किया जाएगा ।

- उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री एवं वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग।
- ट्री पट्टा स्कीम का संचालन।
- धार्मिक वाटिकाओं का विकास।
- अधिनियमों/नियमो में संशोधन/ सरलीकरण।
- ग्रीन कारीडोर का विकास।

upforestdivisionasanadesh.up.nic.in

- उच्च गुणवत्ता की पौधशालाएं विकसित की जाएंगी ।
- अनुसंधान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के बीज, वर्मी कम्पोस्ट आदि का उपयोग उच्च गुणवत्ता के पौधशाला तथा वृक्षारोपण किया जाएगा ।
- राजस्थान से लगे सीमावर्ती जनपदों में विशेष अभियान चलाकर हरीतिमा को विकसित किया जाएगा ।
- ग्रामों और वनों के मध्य स्थल विशेष प्रजातियों का रोपण कर ग्रीन कारीडोर बनाया जाएगा।
- सड़क, रेलवे लाईन और नहरों के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे वृक्षारोपण में भूमि के समीपस्थ भू-स्वामियों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। सहभागियों को ऐसे वृक्षारोपण की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया जायेगा और इसके एवज में छायापंक्ति को छोड़ कर अन्य पंक्ति की उपज से लाभ दिया जायेगा।
- शहरी/औद्योगिक क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित की जायेगी। शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी के लिए जो भूमि भू-उपयोग के समय चिन्हित की जाती है उसमें उसका उपयोग हरित पट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। किन्हीं अपरिहार्य

http//shasanadesh.up.nic.in

परिस्थितियों में यदि हरित पट्टी हेतु चिन्हित भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो वन विभाग की अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

- वन विभाग के साथ-साथ सामूहिक/सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण व चारा विकास के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से तकनीकी मार्गनिर्देशन में कार्यान्वित किया जायेगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए संयुक्त वन प्रबन्ध की पद्धति पर ग्रामीणों का सहयोग व भागीदारी का प्राविधान सुनिश्चित कर क्रियान्वित किया जायेगा तथा वन उपज एवं लाभ का एक भाग उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा।
- जहाँ अनिवार्य है, भूमि कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाएगा कि अलग-अलग व्यक्तियों एवं संस्थाओं को स्वयं की भूमि पर वृक्ष फार्मिंग और चारा, पौध, घास और फलियाँ उगाने के लिए मदद दी जा सके। इस उद्देश्य से ट्री पट्टा स्कीम चलायी जाएगी।
- वाटिकाएं- हमारी परम्परा, संस्कृति व धर्म में वनों व वृक्षों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वृक्षारोपण, वृक्षों की देख रेख, वृक्षों की सिंचाई करना एवं वृक्षों को न काटना,

http//shasanadesh.up.nic.in

हमारी संस्कृति व परम्परा का अनिवार्य अंग है। धर्म, परम्परा व संस्कृति से जोड़कर वृक्षों के संरक्षण का संदेश देने, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने व पौधरोपण में व्यापक जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी, स्मृति वन इत्यादि की स्थापना की जाएगी।

- वृक्षावरण एवं वनाच्छादन की वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने पर किसी भी राजकीय संस्था/स्थानीय निकाय/निजी संस्था/निजी व्यक्ति द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।
- वानिकी कार्य को जन सहभागिता के रूप में चलाने के लिए वृक्षों के पातन एवं अभिवहन अधिनियम/ नियमावली में व्यापक संशोधन किया जायेगा।

4.3 वनवासी कल्याण केन्द्रित नीति :

4.3.1 गैर प्रकाष्ठ वन उपज प्रबन्ध :

वनवासियों को गैर प्रकाष्ठ वन उपज के संरक्षण, पुनरोत्पादन एवं संग्रहण में वरीयता।

- गैर प्रकाष्ठ वन उपज-तेन्दूपत्ता, बेंत, जड़ी-बूटी, महुआ, चिरौंजी, आंवला विभिन्न प्रकार के फल-फूल आदि वनों में तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वनवासियों के जीवनयापन का एक अंग है।

http://shasanadesh.up.nic.in

- सतत उत्पादन हेतु गैर प्रकाष्ठ वन उपज की सुरक्षा, कल्चर पुनरोत्पादन एवं रोपण पर विशेष ध्यान।
- गैर प्रकाष्ठ वन उपज का प्रसंस्करण कर मूल्य वर्धन।
- एम.ओ.यू. के माध्यम से वनवासियों व उद्योग के मध्य लाभ का प्रभाजन।

- वनवासियों की वन मित्र के रूप में पहचान।
- वनवासियों के उत्थान हेतु विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ समन्वय।

- वनवासियों का वनों से प्रगाढ़ परस्पर सहजीवी सम्बन्धों को देखते हुए गैर प्रकाष्ठ वन उपज के संरक्षण, पुनरोत्पादन तथा संग्रहण का कार्य वनवासियों से कराए जाने में वरीयता दी जायेगी। ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया जायेगा जो वनवासियों द्वारा संग्रहीत गैर प्रकाष्ठ वन उपज का प्रसंस्करण कर मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करेगा। इस प्रक्रिया के लाभ का प्रभाजन वनवासी एवं उद्योग के मध्य एम.ओ.यू. के माध्यम से किया जायेगा
- वनवासियों के परम्परागत जड़ी बूटी व दवा सम्बन्धी ज्ञान का उपयोग उद्योग द्वारा किए जाने पर यह व्यवस्था की जायेगी कि दवा उद्योग एवं वनवासियों के मध्य लाभ का प्रभाजन एम.ओ.यू. के माध्यम से किया जायेगा।
- इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग में वनवासियों को रोजगार दिया जायेगा।
- वनवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे।
- वनवासियों को वन मित्र के रूप में पहचान दी जायेगी तथा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- वनवासी केन्द्रित क्षेत्र में संर्वागीण विकास हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर

vanvasanadesh.up.nic.in

वनवासियों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाया जायेगा।

- वनवासी क्षेत्र में वनवासी वनाधिकारियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जायेगी।
- वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जो भूमि प्रदान की गई है उस भूमि के विकास हेतु कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ समन्वय किया जायेगा।
- वन क्षेत्रों एवं उनके समीप स्थित गांवों में परिवहन सुविधाओं के विकास की पहल की जायेगी।
- वनवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं को वैकल्पिक स्वरोजगार हेतु वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिलाने के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था की जायेगी।

कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ऐसे सभी गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद को चिन्हित करते हुए इनके सतत् उत्पादन के लिए उनकी सुरक्षा, कल्चर, पुनरुत्पादन, रोपण हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- वनों तथा वनों के समीप चारों ओर रहने वाले लोगों तथा वनवासियों को वन सम्पदा को बिना हानि पहुंचाये हुए महुवा, चिरौंजी, शहद, मोम एवं निजी उपयोग हेतु गिरे पड़े ईधन के निःशुल्क संग्रहण की वर्तमान सुविधा पूर्व की भांति उपलब्ध रहेगी।

4.3.2 रोजगारपक कार्यक्रम / प्रशिक्षण :

- वनवासियों एवं स्थानीय निवासियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाना।
- इस हेतु उन्हें स्थानीय कौशल विकास मिशन अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थान से जोड़ा जाना।

- वानिकी कार्य एक रोजगारपरक कार्य है। इससे बड़ी संख्या में वनवासी, वनवासी, भूमिहीन एवं बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। यह एक अस्थाई रोजगार है। वनवासी, भूमिहीन व बेरोजगार व्यक्तियों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाने के लिए स्थानीय कौशल विकास मिशन अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से उन्हें जोड़ा जायेगा ताकि उनकी वनों पर निर्भरता कम हो तथा उन्हें स्थाई आय का स्रोत प्राप्त हो सके।

4.4 वनों का संरक्षण :

4.4.1 वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन : -

- वन बन्दोबस्त, धारा-4 व धारा-20, अमलदरामद की तत्काल कार्यवाही।
- वन सीमांकन एवं वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन।
- वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाये जाने एवं मौलिक सुविधाओं का विकास।

- वन विभाग के क्षेत्रांन्तर्गत उपलब्ध भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के तहत् समयबद्ध रूप से धारा-4 तथा वन बन्दोबस्त के पश्चात् धारा-20 की अधिसूचना जारी की जायेगी, साथ ही साथ अमलदरामद की भी कार्यवाही तत्काल कराई जायेगी।
- वन बन्दोबस्त का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जायेगा। इस हेतु राजस्व विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जिले में वन बन्दोबस्त अधिकारी की तैनाती अलग से कराई जायेगी जो केवल वन बन्दोबस्त का कार्य व्यवस्थित करेगा।

kushasanadesh.up.nic.in

- वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु वन बन्दोबस्त के पश्चात वन सीमांकन का कार्य तत्काल कराया जायेगा।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत् वन भूमि पर दिये गये पट्टों, वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित क्षेत्रों में अन्य ग्रामों की तरह मौलिक सुविधाओं के विकास हेतु राजस्व विभाग से समन्वय किया जाएगा।
- वन भूमि तथा वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन कराया जायेगा।

4.4.2 वन सुरक्षाः-

- वन अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता।
- प्रवर्तन कार्य का सुदृढ़ीकरण।
- मुखबिर तंत्र व गोपनीय कोष का विकास।
- अवैध कार्य रोकने वाले वन कार्मिकों को प्रोत्साहन।
- वन माफियाओं एवं वन भू-माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही।

- विद्यमान वनों व वन सम्पदा की सुरक्षा करने हेतु प्रवर्तन कार्य को सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी। इस हेतु बेहतर संचार साधनों, वाहनों, अस्त्र-शस्त्रों एवं सूचना तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था वन क्षेत्राधिकारी स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें आधारभूत संरचनाओं का विकास भी सम्मिलित है।

- अवैध पातन/अवैध शिकार की दृष्टि से संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रीय सीमा इन्डो-नेपाल बार्डर तथा अन्तर्राज्यीय बार्डर के वन प्रभागों में चैकसी हेतु वन अधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।
- वन अपराधों को घटित होने से रोकने हेतु मुखबिर तंत्र को विकसित किया जाएगा। इस

vanvibhagsanadesh.uphfc.in

हेतु गोपनीय कोष (Secret Fund) की व्यवस्था की जाएगी।

- अवैध कार्य रोकने में योगदान देने वाले वनाधिकारियों/वन कर्मचारियों को जब्त सामग्री के मूल्य का एक अंश प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।
- अतिक्रमित क्षेत्र में वृद्धि रोकने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों का अलग से सर्वे कराया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स से समन्वय स्थापित कर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के पश्चात् तत्काल वृक्षारोपण हेतु कार्यवाही की जाएगी। इन कार्यों हेतु अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी।
- वन माफियाओं एवं वन भू-माफियाओं को चिन्हित कर जिला प्रशासन से समन्वय कर उनके विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- वन अग्नि दुर्घटना का पूर्ववर्ती अनुमान, अग्नि दुर्घटना घटित होने की सूचना तत्काल प्राप्त करने एवं अग्नि नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीक तथा उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।
- वन क्षेत्रों में अनियंत्रित चरान/चुगान पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा।

4.4.3 भूमि तथा जल संरक्षणः

- वन क्षेत्रों विशेषकर बीहड़, बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टता के

http://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत मृदा व जल संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाएगें। इन प्रयासों में मृदा व जल संरक्षण कार्य यथा चेक डैम्स व कन्टूर ट्रेन्चों का निर्माण एवं घास रोपण आदि कार्य शामिल हैं।

- भूगर्भ जल के रिचार्ज हेतु जल स्रोतों, वाटर बाडी आदि का संरक्षण किया जाएगा।

4.4.4 जैव विविधता का संरक्षण :

- जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन तथा जन जैव विविधता रजिंस्टर का निर्माण।
- वानिकी के माध्यम से भू-गर्भ रिचार्ज

- प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार, टाईगर रिजर्व एवं ईको सेन्सटिव जोन में जैविक विविधता के संरक्षण व विकास के लिए विशिष्ट प्रयास किये जायेंगे। इन प्रयासों में क्षेत्रों का उन्नत प्रबन्ध, इको डेवलेपमेन्ट, अनुसंधान, जनजागरुकता, प्रशिक्षण एवं पर्यावरणीय शिक्षा आदि के कार्य सम्मिलित हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भी जैविक विविधता संरक्षण के कार्यों को महत्व दिया जाएगा। प्रदेश में विद्यमान संरक्षित क्षेत्रों को और अधिक विकसित कर उन्हे पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार के केन्द्रों के रुप में स्थापित किया जायेगा।
- प्रदेश की विशिष्ट प्रकार की जैविक विविधता को चिन्हित करके उसके प्रचार की व्यवस्था की जायेगी।
- जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं नियम, 2004 का अनुपालन किया जाएगा। अधिनियम तथा नियम के प्राविधानों के

http//shasanadesh.up.nic.in

अनुसार स्थानीय निकाय के माध्यम से जैवविविधता प्रबन्ध समिति का गठन तथा जन जैवविविधता रजिस्टर का निर्माण कराया जाएगा।

- वन क्षेत्रों से भटक कर आबादी क्षेत्र में आये बाघ व तेंदुए जैसे वन्य प्राणियों के प्रबन्धन, वन्य प्राणियों का एक्स-सीटू प्रबन्धन एवं वन्य प्राणियों के व्यवहार से जन सामान्य को परिचित करवाने हेतु प्राणि उद्यानों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- वाटर बाडी (वेटलैंड) के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से भूगर्भ जल के रिचार्ज का प्रयास किया जाएगा।

4.5 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यः

- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारिभाषित वनों की श्रेणी में वर्गीकृत समस्त भूमि का डिजिटाईजेशन किया जायेगा।
- केवल अपरिहार्य मामलों में ही विकास कार्यक्रम के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति दी जाएगी। वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी।
- वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु इच्छुक यूजर एजेंसी 05 वर्षों की भावी परियोजनाओं के अनुसार परियोजनाओं को स्वीकृत कराकर तत्काल वन भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव वन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेंगी ताकि यूजर

http//shasanadesh.up.nic.in

एजेंसी के स्तर पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के साथ ही गैर वानिकी उपयोग की स्वीकृति भी प्राप्त हो सके।

4.5 वन अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास / प्रशिक्षण :

- वन अनुसंधान एवं वानिकी प्रशिक्षण में आधारभूत संरचनाओं व संसाधनों का विकास।
- अनुसंधान निधि एवं प्रशिक्षण निधि की स्थापना।
- रोजगार परक प्रशिक्षणों का आयोजन।

- उन्नत प्रकार के बीज, रोपण सामग्री एवं उचित तकनीक को विकसित कर वनों एवं वृक्षों के उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अनुसंधान शाखा को सुदृढ़ कर नया आयाम दिया जाएगा।
- अनुसंधान के लिए वन विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेगें तथा वन अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे। विभिन्न प्रकार की परती भूमि रोपण तकनीक सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम तथा ऊसर व बीहड़ क्षेत्रों के सुधार हेतु अनुसंधान कार्यो को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश में स्थापित विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा।
- वानिकी प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं को अत्याधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण किया जाएगा।
- वन दरोगा व वन रक्षकों को मूलभूत प्रशिक्षण के उपरान्त फील्ड में तैनाती प्रदान की जाएगी।
- ट्रेनिंग नीड एनेलसिस के अनुसार वन प्रबन्ध में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाएंगे।

http://silasanadesh.up.nic.in

- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा ई-टेण्डर, डिजिटल उपयोग, वानिकी एप्स आयोजित किए जाएंगे।
- रोजगारपरक कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण में मुख्यतया कृषकों को कृषि वानिकी, पौधशाला की स्थापना, प्रकाष्ठ का विपणन, कुटीर उद्योग, मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति में जन धन की क्षति से बचाने हेतु अपेक्षित सावधानियां, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, ईको विकास समिति, जैव प्रबन्धन समिति, स्वयं सहायता समूह आदि का प्रशिक्षण सम्मिलित है। इस प्रशिक्षण में वनों पर निर्भर वनवासी, अनुसूचित जाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानक को प्राप्त करने हेतु नेटवर्किंग की जाएगी। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में समयबद्धता व निरन्तरता बनाए रखने हेतु अनुसंधान निधि एवं प्रशिक्षण निधि की स्थापना की जाएगी।
- वनों के प्रबन्ध हेतु नेशनल वर्किंग प्लान कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से वन प्रबन्ध योजना तैयार की जायेगी तथा इसके प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

4.5 ईको पर्यटन :

http//shasanadesh.up.nic.in

- ईको पर्यटन के माध्यम से स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक विकास।
- नये ईको पर्यटन स्थलों पर चिन्हीकरण एवं विकास।

- नये ईको पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर स्थल विकास ईको पर्यटन नीति 2014 के अनुसार किया जाएगा।
- ईको टूरिज्म से प्राप्त आय को पर्यटन प्रबंधन, इंटरप्रेटेशन एवं ईको-विकास के कार्यों पर व्यय करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ईको पर्यटन के कार्य कलापों में वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय को रोजगार का अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.8 वनाधारित उद्योग:

- गैर वन भूमि पर व्यावसायिक वृक्षारोपण को बढ़ावा।
- वृक्ष उत्पादकों व वनाधारित उद्योगों के मध्य समन्वय।

- प्रदेश में वनों एवं रोपित क्षेत्रों का पर्यावरणीय महत्व है। उनको राजस्व के स्रोत मे नही देखा जा सकता है।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषि पर आधारित है। प्रदेश के लगभग 15 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। 70 प्रतिशत से अधिक प्रदेशवासी आजीविका हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों से जुडे हैं। लघु व सीमान्त एवं अन्य कृषकों को आर्थिक दृष्टि से कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त भूमि, खेत की मेड़ों एवं खेती के साथ प्रकाष्ठ प्रजातियां रोपित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रकाष्ठ के उत्पादन में वृद्धि हेतु गैर वन भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद प्रकाष्ठ प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

http://vanvasanrakshan.up.nic.in

- इन प्रयासों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने एवं वनाधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वृक्ष कैचमेण्ट क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वृक्षारोपण से निर्धारित दूरी के अन्दर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.9 वन क्षेत्र का खनन :

- छोडी गयी खदानों में वृक्षारोपण कर पुनर्स्थापित किया जाना।

- वन भूमि में व्यापारिक उद्देश्य से खनन कार्यों को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा।
- वन क्षेत्र में केवल ऐसे खनन कार्य, जो विकास कार्य हेतु आवश्यक एवं अपरिहार्य है, को वैज्ञानिक ढंग से क्षतिपूरक वनीकरण एवं पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के साथ वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्राविधानों तथा समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।
- वन क्षेत्र में खनन के उपरान्त छोड़ी गई खदानों में वृक्षारोपण कर हरा-भरा किया जाएगा।

4.10 वन प्रसार एवं प्रचार :

- वानिकी के प्रचार हेतु विभिन्न संगठनों का सहयोग प्राप्त

- जन साधारण में वृक्षों तथा वनों के महत्व के प्रति चेतना जागृत करने एवं सामाजिक व

http//shasanadesh.up.nic.in

कृषि वानिकी को जनप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट व सोशल मीडिया का उपयोग किया जायेगा।

- वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के बारे में स्थानीय प्राचीन ज्ञान का संकलन करके उपयोगी सूचना का प्रचार किया जायेगा।
- वनों के प्रति लगाव उत्पन्न करने की दृष्टि से स्कूली बच्चों को प्रारम्भ से ही पर्यावरणीय शिक्षा देना आवश्यक है। इसके लिए प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में पर्यावरण एवं वानिकी से संबंधित विषयों का यथासंभव समावेश कराया जायेगा।
- राष्ट्रीय पर्वों व महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवसों पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु विशेष जन जागरूकता अभियान संचालित किये जायेगें।
- वानिकी के प्रचार व प्रसार कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व निजी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- वनों व वन्य प्राणियों के प्रति जन-सामान्य को जागरूक करने के लिए हर आयु वर्ग के व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका व महत्व से अवगत कराया जाएगा।
- नीति में यह प्राविधान भी किया जाता है कि वृक्ष काटने वाले व्यक्तियों को 01 वृक्ष काटने के स्थान पर 10 वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

- विद्यार्थियों को पर्यावरणीय शिक्षा दिया जाना।
- राष्ट्रीय पर्वो व पर्यावरणीय दिवसों पर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाना।

4.11 प्रकाष्ठ के वैकल्पिक साधन का प्रयोग:

http//shasanadesh.up.nic.in

- जलौनी लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक साधन का प्रयोग।
- सोलर प्रणाली को प्रोत्साहन।
- प्रकाष्ठ के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन।

- वनों के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों को ईंधन के रूप में प्रकाष्ठ का उपयोग न करने को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक साधन के रूप में रसोई गैस का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- वनों में चराई का दबाव कम करने हेतु पशुओं को खूंटे पर बाॅधकर चारा खिलाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पौधशाला, वन विश्राम गृह, वनों में निर्मित आवासीय व अनावासीय कालोनी तथा वन सीमा से लगे ग्रामों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सोलर प्रणाली को अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रकाष्ठ के प्रयोग के स्थान पर वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.12 वानिकी प्रबन्धन सूचना तंत्र-आधुनिकीकरण :

- विविध प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जाना।
- प्रभावी अनुश्रवण हेतु ड्रोन का प्रयोग।

- विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभिन्न आवश्यक कार्यों यथा लेखा प्रणाली, अधिष्ठान प्रणाली, पत्रावलियों की आन-लाईन ट्रैंकिग, कोर्ट केस, स्टोर परचेज, ई-टेण्डरिंग आदि को आन-लाईन किया जाएगा।
- वन अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4, धारा-20 की प्रक्रिया, पातन/अभिवहन की प्रक्रिया, आरा-मशीन नवीनीकरण की प्रक्रिया, कोयला भठ्ठी की स्थापना में निहित विविध प्रक्रियाओं को आन-लाइन किया जायेगा।

//shasanadesh.up.nic.in

- विभाग में वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से विभागीय निर्देशों एवं उनकी समीक्षा का कार्य सम्पादित किया जाएगा।
- वानिकी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं वन क्षेत्र से भटक कर आबादी क्षेत्र में पहुंचने वाले बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि की सघन निगरानी हेतु ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा।
- वानिकी से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए वन विभाग में कम्प्यूटर पर अधारित एम.आई.एस. तथा जी.आई.एस. प्रणाली पर बल दिया जायेगा ताकि सूचना के आदान-प्रदान में शीघ्रता हो और इसके माध्यम से नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कार्यक्रम की गुणवत्ता में भरपूर सुधार हो।
- वानिकी से संबधित सूचनाओं के भण्डारण और सुरक्षा हेतु नवीनतम तकनीक से युक्त वेब सर्वर की स्थापना की जाएगी।

4.13 वन निगम:

- वन निगम का सुदृढीकरण।
- वन प्रमाणीकरण को व्यापक करना।
- वृक्षों को अन्य स्थान पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करना।

- वन उपज के विदोहन को वैज्ञानिक ढंग से सम्पोषण के आधार पर करने हेतु ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई है।
- वन निगम को और अधिक कारगर बनाकर वन विकास एवं वन संरक्षण कार्यक्रमों के संचालन से अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा।

vishasanadesh.up.nic.in

- वन उपज के निस्तारण में और उपभोक्ताओं के बीच से बिचैलियों को अलग करने हेतु वन निगम की ओर से कार्य किया जाएगा।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रकाष्ठ को पहचान, मान्यता एवं उचित मूल्य दिलवाने हेतु वन प्रमाणीकरण (फारेस्ट सर्टिफिकेशन) के उपयोग को व्यापक किया जाएगा।
- वन निगम द्वारा मार्ग चौड़ीकरण, नवीन सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर यथासंभव अन्य स्थानों पर अन्तरित (ट्रांसलोकेट) करने का प्रयास किया जाएगा।

4.14 वानिकी कार्यो में सहभागिता :

- स्थानीय निवासियों को वन प्रबन्ध में सहभागी बनाना तथा ग्राम स्तर पर अन्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ समन्वय

- वन व वन्य प्राणि प्रबन्धन में जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध समिति एवं ईको विकास समिति की स्थापना व सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- जिन क्षेत्रों मे संयुक्त वन प्रबन्ध एवं इको डेवलेपमेंट योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, उन क्षेत्रों मे अन्य विकास विभाग जैसे सिचाईं, ग्राम्य विकास, पशुपालन एवं ग्रामीण अभियन्त्रण आदि द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है तो ग्राम का सर्वांगीण विकास सम्भव होगा और उससे वनो पर निर्भरशीलता भी कम होगी। अतः उपयुक्त समन्वय के लिये प्रशासनिक व्यवस्था की जायेगी।

www.vasanadesh.up.nic.in

4.15 वानिकी कार्यों को जन सहभागिता के रुप मे चलाया जानाः

- वन पार्को, वन चेतना केन्द्रों एवं ग्राम पार्को को स्वावलम्बी बनाना एवं स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- वानिकी कार्य को जनान्दोलन बनाने में उल्लेखनीय प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाना।

- प्रदेश मे वानिकी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयासों की आवश्यकता के दृष्टिगत समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समस्त प्रदेश्वासियों के सहयोग से वानिकी कार्य को एक जन सहभागिता अभियान के रुप मे चलाया जाएगा।
- ऐसे स्थानीय लोग, जो प्रत्यक्ष रुप से वनों से जुड़े हैं, वानिकी कार्यक्रम मे उनको अधिक से अधिक भागीदार बनाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- वानिकी कार्यक्रम मे महिलाओं, युवाओं एवं पूर्व सैनिकों का योगदान अत्याधिक महत्वपूर्ण है अतः इस कार्य में इन वर्गों का सहयोग प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- वानिकी कार्य हेतु स्कूलों/कालेजों के छात्र-छात्राओं के लिए अलग से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा ताकि युवा शक्ति का उपयोग वानिकी कार्य के जन सहभागिता अभियान को सफल बनाने मे सहायक हो सके। इसके लिए छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जायेगा।
- जिला स्तर पर अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को चिन्हित कर उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा।

http//shasanadesh.up.nic.in

- वन महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण कर जनता में वानिकी कार्यों के प्रति जागरुकता उत्पन्न की जायेगी।
- वन पार्कों, वन चेतना केन्द्रों एवं ग्राम पार्कों-क्रीड़ांगन को स्वावलम्बी बनाकर उनके माध्यम से जन सामान्य को वनों के प्रति जागरुक करने के प्रयास किये जायेंगे।
- वन पार्कों, वन चेतना केन्द्रों एवं ग्राम पार्कों को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) के रूप में विकसित किया जाएगा।

4.16 वित्तीय प्रबन्धन:

- वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रयास।
- वृक्षावरण एवं वनावरण वृद्धि हेतु निजी संस्थाओं से वित्तीय संसाधन प्राप्त करना।
- वन संरक्षण कोष का सृजन।

- वानिकी से संबंधित सभी कार्य यथा वनों, वृक्षारोपण एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा अनुसंधान आदि दीर्घ कालीन होते हैं, इस दृष्टि से वित्तीय संसाधनों की भरपूर उपलब्धता एवं
- निरन्तरता महत्वपूर्ण है।
- वानिकी एक समयबद्ध कार्यक्रम है, अतएव आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से पौधशाला एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित व्यय की धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

vanvasanadesh.up.nic.in

- प्रदेश के कुल बजट की 2.5 प्रतिशत धनराशि वन विभाग को आवंटित किये जाने का प्रयास किया जाएगा।
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि(सी.एस.आर.) के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जायेगें। वन विभाग के पास इस धनराशि को प्राप्त करने एवं व्यय करने के अधिकार निहित किए जाएगें।
- वृक्षावरण एवं वनाच्छादन की वृद्धि हेतु निजी संस्थाओं/निजी व्यक्तियों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने का अधिकार विभाग में निहित किया जाएगा। इस धनराशि से उनके स्वामित्व की भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।
- बाह्य स्ारेत से प्राप्त धनराशि के लिए वन संरक्षण कोष (फारेस्ट कन्जरवेशन फण्ड) का सृजन किया जाएगा, जिसमें उद्यमियों/निजी संस्थाओं/ व्यक्तियों से प्राप्त धनराशि को संचित कर वन एवं वन्य जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयोग में लाया जाएगा। ''पॉल्यूटर्स पे'' प्रिंसिपल के आधार पर प्रदूषण पैदा करने वाले संस्थाओं/ खननकर्ताओं/वाहन विक्रय आदि पर सेस लगाकर इस कोष में धनराशि संचित की जाएगी।
- उद्यमियों/निजी संस्थाओं/व्यक्तियों से प्राप्त धनराशि को आयकर से छूट प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

http//shasanadesh.up.nic.in

- अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में निरन्तरता बनाए रखने हेतु निधि का सृजन किया जाएगा।
- वन निगम एवं कैम्पा से प्राप्त धनराशि का उपयोग गाईड लाईन्स के अनुसार किया जाएगा।

4.17 राज्य वन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा :

- मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. के स्तर पर समय-समय पर राज्य वन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कराकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा।

4.18 राष्ट्रीय वन नीति 1988 से संबंधः

- उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्राविधानों के अधीन रहेगी।

.....

http//shasanadesh.up.nic.in